न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 46/2019

1 राजू देवी पुत्री गोपालराम आयु व्यस्क
2 मंजू देवी पुत्री गोपालराम आयु व्यस्क
3 बिदामी देवी पुत्री गोपालराम आयु व्यस्क
4 भगवती देवी पुत्री गोपालराम आयु व्यस्क
समस्त जाति माली मूल निवासी ग्राम बलरियां तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 सविता देवी पुत्री केदारमल पत्नी बालूराम आयु व्यस्क जाति माली निवासी ढाणी स्वामी वाली उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 सुमन देवी पुत्री केदारमल पत्नी महेन्द्र आयु व्यस्क जाति माली निवासी ढाणी स्वामी वाली उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 पूजा पुत्री केदारमल नाबालिग जरिये संरक्षक माता भंवरी देवी पत्नी केदारमल जाति माली निवासी ग्राम बलरिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
4 केदारमल पुत्र गोपालराम आयु व्यस्क
4/1 भंवरी देवी पत्नी
5 श्रवण पुत्र गोपालराम आयु व्यस्क
6 ओमप्रकाश पुत्र गोपालराम आयु व्यस्क
7 जुगल पुत्र गोपालराम आयु व्यस्क
8 विश्वनाथ पुत्र गोपालराम आयु व्यस्क
9 ताराचंद पुत्र गोपालराम आयु व्यस्क
समस्त जाति माली निवासी ग्राम बलरिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

10 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
11 उप पंजीयक नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
12 शेखावाटी ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रन्धक शाखा मुकुन्दगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट
1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड
अधिकारी नवलगढ़ दावा उनवानी सविता देवी वगै.
बनाम गोपाल वगै. दावा बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई
निषेधाज्ञा मु.नं. 142/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2010

उपस्थिति :
1. श्री अमित कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रविराज सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 24.3.26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 142/2009 में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2010 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 ने एक वाद घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 123, 224, 226, 894/209 वाके ग्राम बलरिया

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विधि अनुसार किसी प्रकार का तभी निस्तारण हो सकता है जब कि दोनों पक्षकार उपस्थित हो एवं दोनों सहमत हो। इस प्रकरण में दिनांक 14.06.2010 को ना तो प्रतिवादीगण (रेस्पोडेन्ट सं. 4 लगायत 9) न्यायालय में उपस्थित थे एव ना ही उनकी सहमति थी तथा रेस्पोडेन्टस सं. 10 व 11 को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा मनमाने रूप से ही अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी। विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय एवं प्रक्रियात्मक विधि के सिद्धान्तों की पालना नहीं की है एवं गुणावगुण पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है। अतः इस आधार पर भी निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2010 खारिज होने योग्य है। इस प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 ने गलत रूप से तथ्यों को छिपाते हुये दावा पेश किया था। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 ने अपने दावे में अपीलान्ट के पिता गोपाल के सभी वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया तथा इस तथ्य को विचारण न्यायालय से छिपाया एवं इसकी आड़ में न्यायालय को गुमराह करने का कार्य किया जबकि गोपाल की वारिसानों में उसकी चार पुत्रियां (अपीलान्टस) का भी उपरोक्त पैत्रक भूमि में हक हिस्सा है। हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के पश्चात पैतृक सम्पत्तियों में पुत्रियों को भी पुत्र के बराबर हिस्सा दिसम्बर 2004 के मिल गया है। अपीलान्ट के पिता गोपालराम की मृत्यु वर्ष 2012 में हुई हे। अतः स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 ने जो दावा पेश किया था वो आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण काबिले खारिज था। लेकिन विचारण न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान ना देते हुये निर्णय दिनांक 14.06.2010 पारित करने में गलती कानूनी करी है। उपरोक्त जमीन खसरा नम्बर 123 रकबा 0.02 है., खसरा नम्बर 224 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 226 रकबा 1.96 है. तथा खसरा नम्बर 894/209 रकबा 0.04 है. कुल किता 4 कुल रकबा 2.08 है. के राजस्व रिकार्ड में पहले भगवानाराम के नाम तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसानों के नाम से दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2062 से 2065 में उपरोक्त वर्णित जमीन गोपालराम पुत्र भगवानाराम के

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नाम से दर्ज है। उपरोक्त वर्णित जमीन अपीलान्टस की पैतृक भूमि है जिसमें अपीलान्ट का जन्म से हक हिस्सा है। अतः स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.06.2010 अपीलान्टस के हक हिस्से के विरूद्ध शुन्य है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.06.2010 में रेस्पोडेन्टस सं. 1 .लगायत 3 को उनके पिता केदारमल के साथ 127 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है जबकि स्व. गोपालराम के 6 पुत्र तथा 4 पुत्रियां है। अतः केदारमल तथा रेस्पोडेन्ट सं. 3 का हिस्सा कानूनन किसी भी प्रकार 1/10 हिस्से से अधिक नहीं हो सकता। अतः इस आधार पर भी निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2010 खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट को रेस्पोडेन्टस सं. 1 लगायत 3 ने विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया था। अपील में पक्षकार बनने हेतु अलग से धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि नकल जमाबंदी ग्राम बलरिया संवत 2023 से 2026 में भूमि खसरा नम्बर 65 रकबा 16 बीघा 6 बिश्वा भूमि भगवाना पुत्र चेता जाति माली निवासी नवलगढ़ दर्ज रिकार्ड है, नकल जमाबंदी ग्राम बलरिया संवत 2027 से 2030 में भूमि खसरा नम्बर 65 रकबा 16 बीघा 6 बिश्वा भूमि भगवाना पुत्र चेता कोम माली सा. नवलगढ़ दर्ज रिकार्ड है जिसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामान्तकरण सं. 294 के द्वारा गोपाल रामेश्वर गीगा पिता भगवाना माली ब.हि.ब. स्वीकार किया जाना अंकित है। नकल जमाबंदी ग्राम बलरिया संवत 2031 से 2034 में भूमि खसरा नम्बर 65 रकबा 16 बीघा 6 बिश्वा भूमि गोपाल रामेश्वर गीगा पिता भगवाना जाति माली साकिन नवलगढ़ हि. बराबर किया जाना अंकित है जो प्रदर्श 4 है। नकल जमाबंदी ग्राम बलरिया संवत 2043 में भूमि खसरा नम्बर 123/0.02, 209/4/0.04, 224/0.06, 226/1.96 है. किता 4 कुल रकबा 2.08 है. की खातेदारी गोपाल पुत्र भगवाना जाति माली साकिन नवलगढ़ खातेदार दर्ज है जो प्रदर्श 5 है। नकल जमाबंदी संवत 2062 से 2065 ग्राम बलरिया की भूमि खसरा नम्बर 123/0.02, 224/0.06, 226/1.96, 894/209/0.04 किता

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

4 कुल रकबा 2.08 है. की खातेदारी गोपाल पुत्र भगवाना जाति माली साकिन नवलगढ़ राहिन शेखावाटी ग्रामीण बैंक मुकुन्दगढ़ मूर्तहीन होना दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 के अनुसार गत खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर बनना प्रमाणित है। उक्त रिकार्ड के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी पैतृक है यह भूमि पूर्व में गोपाल के पिता भगवानाराम के नाम से थी तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड गोपाल पिता भगवाना जाति माली के नाम से दर्ज रिकार्ड जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पैत्रिक भूमि है जिससे खातेदार के वारिसान का नोशनल शेयर नियमानुसार जन्म से अधिकार बनता है, इस स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अपील 9 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपील मियाद, गुणावगुण व धारा 96 पर खारिज की जावें। वरवक्त बहस रेस्पोडेन्ट ने विवादित भूमि की जमाबन्दी प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट के नाम विरासतन खातेदारी में दर्ज हो चुके है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार गोपाल की पुत्रियां है। पैतृक आधार पर अपीलान्ट का विवादित भूमि में हक अधिकार है। वरवक्त बहस रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा विवादित भूमि की वर्तमान जमाबंदी प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अपीलान्ट के नाम विरासत के आधार पर खातेदारी दर्ज हो चुकी है। अपीलान्ट का कथन है कि जमाबंदी में अपीलान्ट का हिस्सा विरासतन हिस्से के अनुसार दर्ज नहीं किया गया है। प्रथम दृष्टया जमाबंदी से अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार साबित है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में गोपाल के पुत्र केदार की पुत्रियों द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था। इस वाद में गोपाल के समस्त पुत्रों को पक्षकार संयोजित किया गया है किन्तु गोपाल की पुत्रियां राजु, मंजू, बिदामी व भगवती को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है।

विधिक प्रावधानों के अनुसार एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार गोपाल की पुत्रियां पुत्रों के समान हक अधिकार रखती है। विचारण न्यायालय में इनको पक्षकार संयोजित किये बिना, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विवादित भूमि में गोपाल की विरासत के आधार पर अपीलान्ट के हिस्से का निर्धारण विधिवत सुनवाई के उपरांत ही किया जा सकता है। इस संदर्भ में अपीलांट विचारण न्यायालय में जवाब देही कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.3.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
अपील अधिकारी
पदेन (केम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर